कार्यालय उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

के.बी.एन.आई.आर. विकास प्राधिकरण (रीको लि.), भिवाड़ी (अलवर)

S.No. :KBNIR/ERO/2022-23/ 299/23 Date : 30/10/23

—: लोक सूचना :—

(राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम 2016 की धारा 45, 46 47, 48, एवं राजस्थान शहरी विकास अधिनियम की धारा 90 व 92 के अन्तर्गत)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा भिवाडी खुशखेडा–नीमराना विनिधान क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (रीको) भिवाडी के क्षेत्राधिकार में बिना भू–संपरिर्वन किये किसी सक्षम अनुमति/विधि विरूद्ध अवैध निर्माण/अतिक्रमण किया गया है। जो प्रचलित भिवाडी–खुशखेडा नीमराना विनिधान क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (रीको) भिवाडी के नियमो के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है।

अतः आपको इस लोक सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि आप 07 कार्य दिवस में अपना अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटा लेवें अन्यथा आपका अवैध निर्माण/अतिक्रमण भिवाडी खुशखेडा–नीमराना विनिधान क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (रीको) भिवाडी द्वारा नियमानुसार हटा/ध्वस्त कर दिया जावेगा, तथा बीडा का जो हर्जा खर्चा होगा वह आप से वसूल किया जावेगा एवं साथ ही सम्बंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उक्त नोटिस को अन्तिम एवं विधिक नोटिस समझा जावे।

सूचित रहे।

संलग्नः– के.बी.एन.आई.आर भिवाडी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले तहसील एवं ग्रामों की सूची।

तहसीलदार एवं
अतिक्रमण निरोधक अधिकारी
के.बी.एन.आई.आर. (रीका लि0) भिवाडी

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक :–प.23(13)उद्योग / 1 / 2020 जयपुर, दिनांक: 28 DEC 2020

अधिसूचना

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 9 की उप–धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार एतदद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन घोषित विशेष विनिधान रीजन खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना विनिधान क्षेत्र (KBNIR) के लिए राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RIICO Ltd.) को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में पदाभिहित करते हुए खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना विनिधान क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन करती है। उक्त क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव.

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है :–

1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना आज ही असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रस्तुत है। अधिसूचना की 10 प्रतियां उद्योग (ग्रुप–1) विभाग शासन सचिवालय को एवं 20 प्रतियां प्रकाशन के बिल के साथ डी.एम.आई.सी. विभाग उद्योग भवन को भिजवायें।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उद्योग एवं डी.एम.आई.सी, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, माननीय सदस्य लोक सभा क्षेत्र अलवर, राजस्थान।
6. निजी सचिव, माननीय सदस्य, राजस्थान विधानसभा क्षेत्र मुण्डावर, अलवर।
7. निजी सचिव, माननीय सदस्य, राजस्थान विधानसभा क्षेत्र बहरोड़, अलवर
8. निजी सचिव, माननीय सदस्य, राजस्थान विधानसभा क्षेत्र किशनगढबास, अलवर
9. निजी सचिव, माननीय सदस्य, राजस्थान विधानसभा क्षेत्र तिजारा, अलवर
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, उद्योग एवं डी.एम.आई.सी. राजस्थान, जयपुर ।
13. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, रीको राजस्थान, जयपुर
14. निजी सचिव, आयुक्त, डी.एम.आई.सी, राजस्थान।
15. निजी सचिव, आयुक्त, उद्योग, राजस्थान, जयपुर।
16. निजी सचिव, आयुक्त, निवेश एवं अप्रवासी भारतीय (बी.आई.पी) राजस्थान, जयपुर।
17. जिला कलक्टर, अलवर।
18. संयुक्त शासन सचिव, उद्योग (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान।
19. उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़, नीमराना, मुण्डावर, कोटकासिम, तिजारा।
20. जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर।
21. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर
22. सचिव, नगर सुधार न्यास, भिवाड़ी, अलवर।
23. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (एन.सी.आर.), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
24. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलवर।
25. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव.

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक :–प.23(13)उद्योग/1/2020 जयपुर, दिनांक: 28 DEC 2020

अधिसूचना

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा अलवर जिले की नीमराना एवं मुण्डावर तहसील के निम्नलिखित ग्रामों के सम्पूर्ण क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए एक विशेष विनिधान रीजन (Special Investment Region) घोषित करती है तथा उक्त राजस्व ग्रामों के सम्पूर्ण क्षेत्र को उसका भौगोलिक क्षेत्र विनिर्दिष्ट करती हैं जिसे खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना विनिधान क्षेत्र (KBNIR) के नाम से जाना जायेगा, अर्थातः–

1. तहसील नीमराना के राजस्व ग्राम

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम
1	2
1.	काली पहाडी
2.	शाहजहांपुर
3.	गूगलकोटा
4.	चौबारा
5.	श्रीयानी
6.	सांसेडी
7.	श्री जोनायचा खुर्द
8.	बर्नी जोनायचा
9.	जोनायचाकला
10.	ढोढाकरी
11.	बेलनी
12.	जनकसिंहपुरा
13.	फौलादपुर
14.	ईसरीसिंहपुरा
15.	बावडी

2. तहसील मुण्डावर के राजस्व ग्राम

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम
1	2
1.	बावद
2.	रामसिंहपुरा
3.	मानका
4.	दाधिया
5.	गादली
6.	पलावा
7.	लामचपुर
8.	मिर्जापुर
9.	बीरोद
10.	गादूवास

9:03 AM

11.	बीजवाड चौहान
12.	डुलमाना कलां
13.	डुलमाना खुर्द
14.	भोजपुरी
15.	मनेठी
16.	जालावास
17.	मोलावास
18.	बहरोड जाट
19.	माजरा
20.	सिरोड खुर्द
21.	सिरोड कलां
22.	नांगल सिया
23.	अजरका
24.	भगोला अहीर
25.	दरबारपुर
26.	भानोथ
27.	सुरंदरवाडी

राज्यपाल की आज्ञा से,

24/-

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव.

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है :–

1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना आज ही असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रस्तुत है। अधिसूचना की 10 प्रतियां उद्योग (ग्रुप–1) विभाग शासन सचिवालय को एवं 20 प्रतियां प्रकाशन के बिल के साथ डी.एम.आई.सी. विभाग उद्योग भवन को भिजवायें।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उद्योग एवं डी.एम.आई.सी., राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, माननीय सदस्य लोक सभा क्षेत्र अलवर, राजस्थान।
6. निजी सचिव, माननीय सदस्य, राजस्थान विधानसभा क्षेत्र मुण्डावर, अलवर।
7. निजी सचिव, माननीय सदस्य, राजस्थान विधानसभा क्षेत्र बहरोड, अलवर
8. निजी सचिव, माननीय सदस्य, राजस्थान विधानसभा क्षेत्र किशनगढबास, अलवर
9. निजी सचिव, माननीय सदस्य, राजस्थान विधानसभा क्षेत्र तिजारा, अलवर
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, उद्योग एवं डी.एम.आई.सी. राजस्थान, जयपुर ।
13. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, रीको राजस्थान, जयपुर
14. निजी सचिव, आयुक्त, डी.एम.आई.सी., राजस्थान।
15. निजी सचिव, आयुक्त, उद्योग, राजस्थान, जयपुर।
16. निजी सचिव, आयुक्त, निवेश एवं अप्रवासी भारतीय (बी.आई.पी) राजस्थान, जयपुर।
17. जिला कलक्टर, अलवर।
18. संयुक्त शासन सचिव, उद्योग (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान।
19. उपखण्ड अधिकारी, बहरोड, नीमराना, मुण्डावर, कोटकासिम, तिजारा।
20. जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर।

9:03 AM

21. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर
22. सचिव, नगर सुधार न्यास, भिवाड़ी, अलवर।
23. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (एन.सी.आर.), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
24. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलवर।
25. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव.